

सेवा में

श्रीमान मानव अधिकार आयोग महोदय
नई दिल्ली -110084 भारत

विषय -रिपोर्ट दर्ज है प्रार्थी से फर्जी हस्ताक्षर करवा कर फर्जी तौर बैनामा

महोदय

निवेदन है प्रार्थी पृथ्वीरसिंह पुत्र श्रीपाल निवासी खरगपुर पोस्ट लौथरा विकासखंड संकित जिला व तहसील एटा में गरीब वर्ग का व्यक्ति हूं ना पढ़ा लिखा होने के कारण गुलाब सिंह निवासी गढ़िया कौची जिला एटा मुझे घर से ले जाकर विरासत नाम कराने के चक्कर में गाटा संख्या 291 व खातासंख्या 29

में गाटा संख्या 06 व 16 व 17 व 22 व 84 व 186 सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी अनीतादेवी के नाम में फर्जी बैनामा के आधार पर कराली जबकि जबकि 291 में पृथ्वीर सिंह से लिखायी गयी भूमि 0.352 हेक्टेयर है जैविक पृथ्वी सिंह की भूमि 24.40 हेक्टेयर है तहसीलदार से आर्डर दिया गया 0.352 है फर्जी हस्ताक्षर की आर्डर की जांच की जाए फर्जी बैनामा हस्ताक्षर पंजीकरण संख्या 8991 है फर्जी आदेश आर्डर की जांच की जाए फर्जी बैनामा कैसिलेशन का आदेश दिया जाए सर निवेदन है और मेरी मारपीट पुलिस प्रशासन व तहसीलदार लेखपाल की वजह से दबंग पार्टी एवं गंडागर्दी भू माफिया की वजह से कोई सुनवाई मैं इस पत्र से आपको अवगत करता हूं फर्जी बैनामा की जांच करने पर माननीय मुख्यमंत्री कंप्यूटर संदर्भ संख्या 15201240120699 व 15201240121061

पर लगायी गयी रिपोर्ट गलत है पैसे लेकर गलत रिपोर्ट लगते हैं आवेदक विभाग द्वारा दी गई समाधान से असंतुष्ट है विभाग द्वारा बिना जांच के गलत रिपोर्ट लगाई गई है। D.M और SDM से पुन जांच करना चाहता हूं फर्जी बैनामा खारिज की अपील की जाए भू माफिया के तहत पर मेरी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं इसके कारण मेरा परिवार भूख प्यास की वजह से तड़प रहा है मैं इस पत्र से आपको अवगत करता हूं पत्र को सुनकर कानूनीतौर पर कार्रवाई की जाए आपकी अतः कृपा होगी।

प्रार्थी

पृथ्वीर सिंह पुत्र श्रीपाल

निवासी खरगपुर गढ़िया पो. लौथरा

जिला एटा उत्तर प्रदेश

मो.9548991898 .9536070864

आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की गयी प्रतिलिपियां

मा० पुलिस महानिदेशक उ० प० लखनऊ

मा० पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा